

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

कमला देवी वगै०

बनाम

भूमिधारी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी


मु०नं० 209 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/354

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री रामसिंह गुर्जर उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 06.06.2025 को पेश हो।

06/06/2025


राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। अप्रार्थी की तामील सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 09.05.2025 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थी अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।


पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं सीमाज्ञान दिनांकित 09.05.2025 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण सीमाज्ञान दिनांकित 09.05.2025 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। उक्त सीमाज्ञान में ख०नं० 588, 586 में पड़ोसी खातेदारान का कब्जा होना पाया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :-

आदेश

आदेश

तहसीलदार पाटन तन ग्राम मोढूका पटवार हल्का मोढूका तहसील पाटन अवस्थित ख.नं. 586 ता 588 कुल किता 03 कुल रकबा 1.30 है० में प्रार्थी तथा पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 09.05.2025 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 मे वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढी ख०नं० 586 व 588 में पड़ोसी खातेदारान से कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। उक्त खसरा नम्बरान में प्रार्थीगण कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में बेदखली का वादपत्र पेश कर अनुतोष प्राप्त करें। तहसीलदार पाटन को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राजवीर सिंह यादव)
राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (पाटन)